भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1041

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

रेबीज के कारण मृत्यु

†1041. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुनः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान रेबीज के कारण मरने वाले लोगों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कुल संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार रेबीज के मामलों में वृद्धि के कारणों से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए कोई एहतियाती उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या उपलब्ध कराए गए रेबीज रोधी टीकों की संख्या के बारे में सरकार को जानकारी है और कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीआरई) की प्रगति और वर्तमान स्थिति क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) ने रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी) शुरू किया है। राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम की कार्यनीतियों में पशु द्वारा काटने पर उचित प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण आयोजित करना, रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण, निगरानी और अंतर-क्षेत्रीय समन्वय, पशु द्वारा काटने की निगरानी को सुदृढ़ बनाना, राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि पहल के माध्यम से पशु द्वारा काटे गए पीड़ितों के लिए एंटी-रेबीज वैक्सीन की खरीद का प्रावधान और जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) कार्यकलाप शामिल हैं।

इसके अलावा, रेबीज़ पर प्रभावी नियंत्रण के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मिलकर "कुत्तों से होने वाली रेबीज़ के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीआरई)" शुरू की गई है। एनएपीआरई के अंतर्गत परिकल्पित कार्यकलापों के

कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का विवरण - https://rabiesfreeindia.mohfw.gov.in/resources/uploads/PageContentPdf/169391359514.pdf पर देखा जा सकता है।

एनआरसीपी मासिक रिपोर्टिंग के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024 में 36 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा **एंटी-रेबीज टीकों** की कुल 1.33 करोड़ शीशियां खरीदी गईं, जिनमें से उसी वर्ष **1.26 करोड़ शीशियों** का उपयोग किया गया।

******